यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग के माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर संह ,श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री हरि ओम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03-03-2018 से 07-03-2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

<u>परिचयात्मकः</u> इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान मे माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के लेखा अ भलेखों की श्री रामवीर संह ,श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री हरि ओम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03-03-2018 से 07-03-2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

<u>क्रयाकलापः-</u> अधीनस्थ खण्डों के अंतर्गत निर्माण कार्यों का निरीक्षण/अनुश्रवण एवं प्रशासनिक नियंत्रण कया जाना।

<u>भौगो लक अ धकार क्षेत्रः-</u>

निर्माण खंड रुद्रप्रयाग, निर्माण खंड उखीमठ एवं निर्माण खण्ड गुप्तकाशी से संबन्धित समस्त क्षेत्र।

(अ) वगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` *(लाख में)*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	--	--	-	-	-	-	--	-
2015-16	--	--	-	-	-	-	--	-
2016-17	--	--	27.71	17.82	-	-	--	9.89

2017-18 (माह फरवरी 2018 तक)	--	--	45.47	42.93	-	-	--	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	शून्य					
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

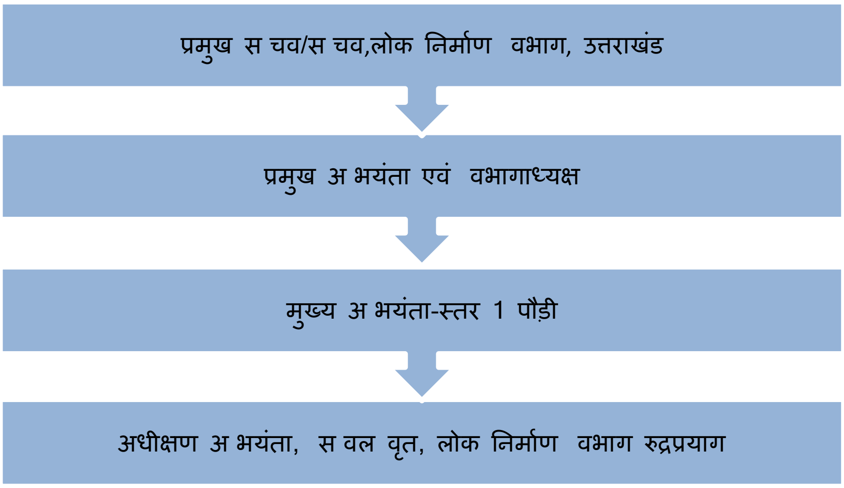

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अ धकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग के माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के अ भलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जनवरी 2018 एवं अक्टूबर 2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(iv) खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह फरवरी 2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	-	शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	-	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	-	शून्य
(घ)	निक्षेप	-	शून्य
(ङ)	भण्डार	-	शून्य

भाग-2(ब)

<u>प्रस्तर- 01:त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की गई वेतन राशि 28896/- की वसूली न किया जाना।</u>

उत्तराखंड शासन के 7वे वेतन आयोग के शासनादेश संख्या:299/**XXVII(7)50(16)/2016** दिनांक: 30.12.2016 के**Para 8** के नियमानुसार, *"01.01.2016 या उसके बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का मूलवेतन उस पद, जिस पद पर संबन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्ज स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।"*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस कार्यालय में कार्यरत श्री महेश सिंह नेगी ने 03.08.2016 एवं श्री केशव भट्ट ने 25.05.2016 को नवनियुक्ति (**Pay Band 5200-20200 +2000GP** में) प्राप्त की। 7वे वेतनमान में कार्यालय द्वारा इन कार्मिकों के मूलवेतन का निर्धारण 2.57 के गुणांक के आधार पर इनकी नियुक्ति की तिथि से किया गया। जो उपरोक्त नियमानुसार गलत है।

कार्यालय द्वारा श्री महेश सिंह नेगी एवं श्री केशव भट्ट का मूलवेतन इनकी नियुक्ति की तिथि को 22400 निर्धारित किया गया जबकि बिन्दु संख्या 1 के नियमानुसार यह 21700 होगा (लेवल-3 में न्यूनतम)।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण तथा आगामी गलत वार्षिक वेतनवृद्धि के कारण श्री महेश सिंह नेगी को **13741/-**तथा श्री केशव भट्ट को 15155/- राशि का (दोनों को जोड़कर कुल राशि= 28896/-) अधिक भुगतान इनकी नियुक्ति तिथि से फरवरी 2018 तक किया जा चुका है। (गणना प्रति संलग्न)

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड ने अपने उत्तर में बताया कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण को सुधार कर अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली संबंधित कार्मिकों के वेतन से कर ली जाएगी।

खंड के उत्तर के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पायी गई। अतः गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की गयी धनराशि 28896/- की वसूली न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संगयान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर संख्या **2**: **₹** 52.06 लाख एल डी से संबन्धित अ भलेखो का उ चत रख रखाव न कया जाना

वत्तीय हस्त पुस्तिका खंड vi के अनुसार निम्न ल खत प्रावधान है ।

70. The Superintending Engineer will inspect the state of the various works within his circle and satisfy himself that the system of management prevailing is efficient and economical, that different articles in stock are duly verified according to the rules laid down, and that there is no accumulation of stock in any division beyond its requirements.
71. He will also inspect the divisional offices under him at least once a year, and will forward for the information of the Chief Engineer reports of his inspections in the prescribed form, detailing therein the result of his examination of initial accounts, accounts of stock, tools and plant and stock manufacture, register of works, and other divisional accounts and papers, mode of preparation of estimates, contract agreements, contractor's accounts, revenue registers and office work generally.
72. He will further see that the authorized system of accounts is maintained throughout his circle and examine the books of divisional officers and their subordinates, and see that matters relating to the primary accounts are attended to personally by the divisional and sub-divisional officers, and that the accounts fairly represent the progress of each work. He will examine the register of works so as to keep a vigilant watch over the rates of work, and when he considers it necessary, he may require a divisional officer to report to him monthly or at longer intervals on a works slip in form no. 39 the total expenditure to date under each sub-head of work, in contrast with the sanctioned estimate. It will thus been seen that it rests with the Superintending engineer to investigate excesses over sub –heads with a view to decide whether or not a revised estimate will be required for the work. When a revised estimate is required it will also devolve on the superintending engineer to see that it is submitted in due time to the sanctioning authority, vide paragraphs 79 and 395. He is also responsible that no delay is allowed to occur in the submission of completion reports.
73. The supervision and control or assessment of revenue from irrigation and navigation works within his circle will rest with the superintending engineer.

अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 36 (d) के अनुसार यदि निर्माण कार्य समय से पूर्ण न हो तो ठेकेदार से समय वृद्‌ ध क्षतिपूर्ति (LD) कम से कम अनुबं धत रा श का 0.5% प्रति सप्ताह एवं अ धकतम 10% रा श वसूल की जानी चाहिय ओर यह राजस्व लेखे मे जमा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा मे पाया गया क निम्न निर्माण कार्यो (ववरण संलग्न) को वलम्ब से पूर्ण कया गया एव कुछ कार्य वर्तमान तक अपूर्ण है परंतु एल डी से संबन्धित कोई अ भलेख अधीक्षण अ भयंता कार्यालय मे उपलब्ध नहीं था इस कारण से अनुबं धत रा श रु 10413.57 लाख का 0.5% एल डी रा श रु 52.06 लाख के संबंध मे कोई जांच नहीं की जा सकी है । आगे लेखापरीक्षा मे यह भी पाया गया क अधीक्षण अ भयंता द्वारा वर्ष 2013 से 2017 की

अव ध मे अपने अधीन कार्यालयो का निरीक्षण मात्र एक बार कया गया था जब क उपरोक्त नियमानुसार   वर्ष मे एक बार आवश्यक रूप से करना था । यह भी पाया गया की अपने अधीन कार्यालयो को डी सी एल भी काफी वलम्ब से स्वीकृत की जा रही है एवं केंद्र पो सत ,राज्य पो सत , वन भू म की स्वीकर्ति ,आदि संबन्धित अ भलेखो का रख रखाव भी कार्यालय स्तर पर नहीं कया जा रहा था ।

एल डी के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया क खंडीय कार्यालयो से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध करायी जाएगी ,निरीक्षण के संबंध मे मात्र एक बार निरीक्षण क सूचना उपलब्ध करायी गयी , डी सी एल के वलम्ब के बारे मे बताया गया की खंडो की मांग के बाद मांग पत्र की आप त्तयो के निराकरण के पश्चात ही, डी सी एल ,स्वीकर्ति की जाती है अन्य अ भलेखो /सूचनाओ के संबंध मे बताया गया खंडो से प्राप्त कर उपलब्ध करायी जाएगी ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यो क सारी सूचनाए / अ भलेख , अधीक्षण अ भयंता के स्तर से गठित अनुबन्धो से संबन्धित थी उपरोक्त सभी क मयो का निराकरण/ अ भलेखो का रख रखाव, भी अधीक्षण अ भयंता के स्तर से कया जाना था ।

अत: कार्यालय मे रु 52.06 लाख एल डी से संबन्धित अ भलेखो का उ चत रख रखाव न कए जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है जिससे की आगामी लेखापरीक्षा मे समस्त अ भलेख उपलब्ध हो सके ओर अधीक्षण अ भयंता कार्यालय स्तर पर उनके द्वारा गठित अनुबन्धो की पूर्ण जांच की जा सके ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग के अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य ।
3. सतत् अनियमतताएः शून्य
4. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री मयनपाल संह वर्मा	अधीक्षण अ भयन्ता	दिनांक 11.08.2015 से 10.11.2016 तक
(ii)	श्री ओम प्रकाश	अधीक्षण अ भयन्ता	दिनांक 10.11.2016 से 19.07.2017 तक
(iii)	श्री इंद्रजीत बोस	अधीक्षण अ भयन्ता	दिनांक 19.07.2017 से 29.08.2017 तक
(iv)	श्री खगेन्द्र प्रसाद उत्प्रेती	अधीक्षण अ भयन्ता	दिनांक 29.08.2017 से 23.11.2017 तक
(v)	श्री मुकेश संह परमार	अधीक्षण अ भयन्ता	दिनांक 23.11.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/आ र्थक क्षेत्र -2